संख्या-40/2022/342/12-5-2022-सा0-12/2022

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 21 जून, 2022**

विषयः-प्रदेश में बीहड़/बंजर/जलभराव क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना (वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक) का क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू0सं0/श0एवंवा0/पं0दी0उ0उ0कि0स0यो0/15/2022-23, दिनांक 20.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी 05 वर्षो हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक प्रदेश के 74 जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) निम्नानुसार क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. आगामी 05 वर्षो हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़, बंजर एवं जल भराव क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों की आवंटित भूमि का उपचार कराने तथा उन्हें आजीविका उपलब्ध कराने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक प्रदेश के 74 जनपदों में (गौतमबुद्धनगर को छोड़कर) क्रियान्वित की जायेगी।

2-क्षेत्र/लाभार्थी चयनः-

परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होगें। परियोजना का चयन जलसमेट क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र के चयन में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी, जहां भू-आवॅटी, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं लघु सीमान्त कृषकों की अधिकता होगी। परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक प्रकृति के कार्य यथा बांध निर्माण, सुरक्षित जल निकास हेतु जल निकासी नाले का निर्माण आदि में यदि अन्य कृषको के खेत आ रहे है तो अपरिहार्य परिस्थिति में लाभार्थी के रूप में उन्हें भी सम्मिलित किया जा सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3-योजना में प्रस्तावित कार्य:-

क- बीहड़/बंजर भूमि विकास (कृषि उत्पादन हेतु):-

रिज-टू-वैली सिद्धान्त को अपनाते हुये वाटरशेड के आधार पर परियोजना का चयन किया जायेगा, जिसमें बीहड़/बंजर (कृष्य एवं अकृष्य) भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किए गये है:-

- समोच्चरेखीय बांध, मार्जिनल/पेरीफेरल बांध, समतलीकरण, बेंच टैरेसिंग, जल संचयन बंधी, चेकडैम आदि। परियोजना में समतलीकरण का कार्य मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 30 प्रतिशत तथा पहाड़ी, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में अधिकतम 10 प्रतिशत एवं अन्य कार्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सम्पादित किये जायेगें।
- परियोजना क्षेत्र एवं बांधो पर आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी/औद्यानीकरण का कार्य सम्पादित किये जायेगे।
- फसलोत्पादन कार्यक्रम।

ख- जलभराव क्षेत्रों का उपचार/कृषि वानिकी/वृक्षारोपण:-

- जल निकास नालियों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार तथा कृषि वानिकी/वृक्षारोपण।
- जल भराव क्षेत्रों में जल निकास सुनिश्चित करके कृषि क्षेत्र में बढ़ोत्तरी एवं फसल सघनता में वृद्धि।

4-भौतिक लक्ष्य:-

- योजनान्तर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों के उपचार हेतु वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक का भौतिक लक्ष्य निम्नवत् है:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	बीहड़/बंजर भूमि सुधार (राज्य सेक्टर से)	178000
2	जल भराव क्षेत्रोपचार/कृषिवानिकी/वृक्षारोपण (मनरेगा से)	41250
	योग	**219250**

कृषि उत्पादन हेतु बीहड़/बंजर भूमि सुधार के उपरोक्त भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष रू0 25000 प्रति हे0 की औसत दर से व्यय प्रस्तावित है। वास्तविक नियोजन के आधार पर यदि कार्यमद में धनराशि की बचत होती है तो उसके सापेक्ष अतिरिक्त क्षेत्र को चयनित करने का अनुमोदन सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के स्तर से प्राप्त कर कराया जा सकेगा।

- वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 219250 हे0 समस्याग्रस्त क्षेत्र का उपचार रू0 602.68 करोड़ (रू0 501.59 करोड़ राज्य सेक्टर से, रू0 51.25 करोड़ मनरेगा से एवं रू0 49.84 करोड़ कृषक अंश के रूप में) के व्यय पर किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत क्षेत्रोपचार का कार्य शत प्रतिशत अनुदान पर प्रस्तातित है एवं कृषक अंश मात्र फसलोत्पादन कार्यक्रम में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से स्थापित की जा सकती है ।

- फसलोत्पादन पर रू0 7000/- प्रति हे0 की दर से व्यय किया जायेगा जिसका 50 प्रतिशत योजनान्तर्गत अनुदान अंश के रूप में एवं शेष 50 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में कृषक द्वारा स्वयं श्रम एवं सामग्री अंश के रूप में वहन किया जायेगा। अतः समस्त उपचारित क्षेत्र पर फसलोत्पादन का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत जलभराव क्षेत्र का उपचार/कृषि वानिकी/वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा।

5-<u>योजनान्तर्गत कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय विभाजन</u>:-

परियोजना वर्ष	भौतिक (हेक्टेयर)			वित्तीय (करोड़ रू0)						
				राज्य सेक्टर				मनरेगा अंश	फसलोत्पादन हेतुकृषक अंश	कुल वित्तीय लक्ष्य
	राज्य सेक्टर	मनरेगा	योग	कार्यमद	फसलोत्पादन	विविध व्यय	योग			
2022-23	35600	8250	43850	89.00	-	1.35	90.35	10.25	-	100.60
2023-24	35600	8250	43850	89.00	12.46	1.35	102.81	10.25	12.46	125.52
2024-25	35600	8250	43850	89.00	12.46	1.35	102.81	10.25	12.46	125.52
2025-26	35600	8250	43850	89.00	12.46	1.35	102.81	10.25	12.46	125.52
2026-27	35600	8250	43850	89.00	12.46	1.35	102.81	10.25	12.46	125.52
योग	**178000**	**41250**	**219250**	**445.00**	**49.84**	**6.75**	**501.59**	**51.25**	**49.84**	**602.68**

6-<u>कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं समीक्षा</u>:-

योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय, मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उपरोक्त समितियों द्वारा योजना की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जायेगा। जनपदीय एवं मण्डलीय समिति माह में एक बार नियमित समीक्षा करेगी, जिसका कार्यवृत्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को नियमित रूप से प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बजट में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक वार्षिक कार्य योजना पर नियोजन एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

8- पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के संचालन पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्षों में किये जाने वाले बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा।

9- पं० दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के समस्त कृषक एवं कृषक मजदूर इस योजना के लाभार्थी होंगे। अतः उत्तर प्रदेश आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सुविधाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम-2018, के उपनियम-3 तथा उपनियम-4 के अन्तर्गत योजना का आधार नोटिफिकेशन किया जायेगा। इसी प्रकार लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में ही धनराशि का हस्तांतरण किया जाना होगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/न्याय/परती भूमि विकास/ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।